छविप्रकाश — हरिराम 56/2011

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26-9-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. [illegible] अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत्त [illegible] रिकार्ड [illegible] शामिल [illegible] रहे / तलब किया जाये। पत्रावली बाबत अगली दिनांक 12-12-18 को पेश हो। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।	
12-12-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई [illegible] समय सायंकाल [illegible] किया गया [illegible] अनुपस्थित रहे [illegible] एवं अथ पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/12/18	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official